



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072026-274448
CG-DL-E-13072026-274448

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3645]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3645]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2026

का.आ. 3807(अ).— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गोवा कैंपस, गोवा डेयरी के पास, कुर्ती, फोंडा, गोवा- 403401 को भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है, अर्थात:

कार्यक्षेत्र : (क) कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायविज्ञान;

(ख) मोबाइल उपकरण न्यायविज्ञान

[फा. सं. एए-14/7/2026-सीएसडी]

श्री कृष्ण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th July, 2026

S.O. 3807(E).— In exercise of the powers conferred by section 79A of the information Technology Act 2000 (21 of 2000) the Central Government hereby notifies **National Forensics Science University, Goa, Near Goa Dairy, Curti, Ponda, Goa - 403401** as Examiner of Electronic Evidence within India, with the following scope, namely:

- (a) Computer (Media) Forensics;
- (b) Mobile Devices Forensics.

[F. No. AA-14/7/2026-CSD]

SHRI KRISHAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.